बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 11/12–13

(1) परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – लक्ष्मी कन्या प्राथमिक विद्यालय, मन्दगोला , पटना सिटी।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – लेखा वर्ष 2006–07 से 2010– 11 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन (विकास) विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्री

पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री शशि भूषण राय, जिला शिक्षा अधीक्षक दिनांक 01.04.06 से 30.06.06 (पूर्वाहन) तक
2. श्री रामसागर प्रसाद सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक दिनांक 30.6.06 अप0 से दिनांक 07. 07.08 पूर्वा0 तक
3. श्री शशीभूषण राय, जिला शिक्षा अधीक्षक दिनांक 07.07.08 अप0 से दिनांक 31.3.11 तक

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी

एवं कर्मचारियों का नाम पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्रीमती अंजली कुमारी, प्रधानाध्यापिका दिनांक 01.04.06 से अद्यतन।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी/

कर्मचारी का नाम एवं पदनाम – 1. श्रीमती अंजली कुमारी, प्रधानाध्यापिका

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम – 1. श्री अविनाश कुमार वरीय अंकेक्षक–2

2. श्री अरविन्द कुमार सिंह वरीय अंकेक्षक –2

(ज) अंकेक्षक प्रारंभण तिथि – 25.04.2012

(झ) अंकेक्षण समापन की तिथि – 27.04.2012

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 2 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत

अभिलेखों के सूची – अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य अंकेक्षण है।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि –

विभागीय ज्ञापांक 3286 दि0 15.09.1960

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र :–

इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 1922 में किया गया था। इस विद्यालय के अधिकांश प्रलेख यथा विद्यालय का स्वीकृत्यादेश, पद का स्वीकृत्यादेश, प्रीपोजिशन स्टेटमेंट उपलब्ध नही था। फलतः विद्यालय के इतिहास के बारे में विवरण उपलब्ध नही हो सका। इस विद्यालय के वेतनादि मद में अनुदान प्राप्त एक मात्र शिक्षिका के वेतनादि मद मे व्ययों का अंकेक्षण किया गया।

विद्यालय के संचालन, प्रशासन , अनुरक्षण शिक्षकों के प्रोन्नति, बालिका पोशाक योजना एवं मध्याह्न भोजन आदि का क्रियान्वयन तथा नियंत्रण विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने स्तर से किया जाता है।

(iv) वित्तीय स्त्रोत :–

विद्यालय के शिक्षकों को वेतनादि मद में राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। अनुदान विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' पर अंकित है।

(v) कोषागार से सत्यापन की स्थिति :–

वेतनादि मद में राशि अनुदान के रूप में चेक द्वारा विद्यालय को प्राप्त होती है। अतः कोषगार से सत्यापन की स्थिति नही बनी।

(vi) महालेखाकार का पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति :–

विद्यालय द्वारा बताया गया कि महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण नही किया गया है। अतः कार्यालय में कोई निरीक्षण प्रतिवेदन नही है। फलतः अनुपालन का प्रश्न नही उठा।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :–

विद्यालय के प्रधानाध्यापिका द्वारा बताया गया कि इस विद्यालय का अंकेक्षण पूर्व में वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा नही किया गया है। अतः विद्यालय में कोई अंकेक्षण प्रतिवेदन नही है। फलतः अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन का प्रश्न नही उठा।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

(i) वेतनादि मद में राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। प्राप्त अनुदान राशि से अधिक राशि व्यय नही किया गया है।

(ii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को नही भेजा गया है।

(iii) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष के नगद राशि के भौतिक सत्यापन की स्थिति :– शून्य।

रोकड़ पुस्त का संवरण शेष शून्य था, इस कारण भौतिक सत्यापन नही कराया गया।

(iv) रोकड़ पुस्त में संवरण शेष की स्थिति :–

रोकड पुस्त में संवरण शेष की स्थिति '' शून्य'' पाई गई।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त बलों का विवरण :–

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	आधिक /कम

	(स0 शि0)		
2006—07	3	2	1 पद
2007—08	3	2	1 पद
2008—09	3	2	1 पद
2009—10	3	2	1 पद
2010—11	3	2	1 पद

कार्यरत पद के विरूद्ध एंव शिक्षिका श्रीमती वीणा पाण्डेय की नियुक्ति दि0 1.8.84 को एंव अनुमोदन दिनांक 08.10.85 को प्राप्त है। परन्तु वेतन की निकासी अंकेक्षण समाप्ति तक नही किया गया था। साथ ही स्वीकृत पद 3 का निर्धारण प्रबंध कमिटि द्वारा किया गया है। पद स्वीकृत्यादेश का कोई सरकारी पत्र अंकेक्षण में नही दिखाया गया था। एक पद लम्बे अवधि से रिक्त पाया गया।

भाग— 2

शून्य

भाग—3 (सुझावात्मक)

(5) वेतनादि मद में भुगतीत राशि रू0 894537.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को भेजने के संबंध में।

वेतनादि मद के भुगतान राशि के जाँच में पाया गया कि अंकेक्षणाधीन वर्ष में वेतनादि मद में राशि रू0 894537.00 का भुगतान विभिन्न शिक्षकों को किया गया था। परन्तु उक्त व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी को नही भेजा गया था। यह स्थिति बिहार वित्त नियमावली के नियम 340 से 346 के प्रतिकूल है। विशेषतः उक्त नियमावली के नियम 342 में स्पष्ट उल्लेख है कि स्वीकृत अनुदानों, अंशदानों एंव विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विशिष्ट सेवाओं एंव निर्माणों आदि हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अनुदान देनेवाला प्राधिकार महालेखाकार को भेजने की व्यवस्था करायेगें या करेगें। स्पष्ट है इस नियम का अनुपालन विभाग के किसी स्तर पर नही किया गया ।

उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने योग्य राशि की विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ग' पर अंकित है। इस संदर्भ में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि '' उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जा रहा है। तैयारी के बाद भेज दिया जायेगा। '' अंकेक्षण समाप्ति तक उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने का साक्ष्य नही दिखाया गया था।

अतः भविष्य में वेतनमद में व्यय राशि रू0 894537.00 को ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार बिहार, पटना को भेजा गया सुनिश्चित किया जाये तथा बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने की दिशा में की गई कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाये।

(6) अंकेक्षण का संक्षिप्त मंतव्य :–

(1) निरीक्षण संचिका संधारित किया जाये :–

वित्त विभाग के ज्ञापांक ए0 आर0 – 06/19/53 – 29 वि0 दिनांक 01.06.1953 के निदेशानुसार प्रत्येक कार्यालय में अंकेक्षण आपत्तियों और निरीक्षण प्रतिवेदनों की एक पंजी अवश्य संधरित किया जाये।

(2) अनुदान प्राप्ति के लिए अलग आगत पंजी संधारित किया जाये :–

विद्यालय द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त चेकों के लिए एक अलग आगत पंजी संधारित किया जाये जिसमें अनुदान प्राप्ति का स्त्रोत, अनुदान का प्रकार, विवरण, चेक प्राप्ति तिथि तथा अनुदान रकम का उल्लेख अवश्य किया जाये। इस पंजी का संधारण अनिवार्यतः किया जाये।

(3) रोकड़ पुस्त की त्रुटियाँ :–

रोकड़ बही के प्रत्येक माह के अंत में संवरण शेष की विस्तृत विवरणी तैयार कर अवश्य अंकित किया जाये तथा बिहार कोषागार संहिता के नियम 86(iii) के अनुरूप रोकड़ बही के योग एंव संतुलन का प्रमाण पत्र अवश्य अंकित किया जाये। रोकड़ पुस्त पर प्रति दिन हस्ताक्षर किया जाये तथा संगत प्रविष्टि का विवरण अवश्य अंकित किया जाये।

(4) वेतन भुगतान पंजी की त्रुटियाँ :–

वेतन भुगतान पंजी का संधारण प्राप्त अनुदान के अनुरूप नही किया गया था। लगातार कई माहों के वेतन का विवरण एवं साथ अंकित कर दिया जाता था। वैसे माहों के वेतन की प्रविष्टि भी पाई गई जिसका अनुदान नही प्राप्त हुआ था या बाद में प्राप्त हुआ था। अतः वेतन भुगतान पंजी में वास्तविक दावा अंकित किया जाये। तथा उसी अनुसार विपत्र

तैयार कर वेतन प्राप्त किया जाये। संगत वेतन के चेक का विवरण, तिथि , रकम आदि भी वेतन भुगतान पंजी पर अंकित किया जाये। वेतन प्राप्तिकर्त्ता का प्राप्ति हस्ताक्षर भी नियमित रूप से कराया जाना चाहिए।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0– 2

(2)

“ NISHU’’

परिशिष्ट ‘क’ कंडिका –1 ‘ट’ से संबंधित

(क) प्रस्तुत अभिलेख :–

1. रोकड़ पुस्त (वेतन मद) वर्ष 2006–07 से 2010– 11 तक
2. वेतन भुगतान पंजी वर्ष 2006–07 से 2010– 11 तक
3. भविष्य निधि कटौती पंजी वर्ष 2006–07 से 2010– 11 तक
4. प्राप्त अनुदान चेकों की छाया प्रति वर्ष 2006–07 से 2010– 11 तक
5. वेतन पासबुक वर्ष 2006–07 से 2010– 11 तक
6. भविष्य निधि अंशदान बचत खाता वर्ष 2006–07 से 2010– 11 तक
7. शिक्षक उपस्थिति पंजी वर्ष 2006–07 से 2010– 11 तक
8. छात्रोपस्थिति पंजी वर्ष 2006–07 से 2010– 11 तक
9. नियुक्ति अनुमोदन संचिका
10. नीजी संचिका (एक शिक्षक) वर्ष 2006–07 से 2010– 11 तक
11. बकाया वेतन स्वीकृत्यादेश संचिका वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक
12. वेतन विपत्र की कार्यालय प्रति वर्ष 2006–07 से 2010– 11 तक

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख :–

1. प्रीपोजिशन स्टेटमेंट
2. सेवा पुस्त
3. विद्यालय प्रस्वीवृति पत्र
4. स्वीकृत पदों का आदेश पत्र
5. वरीयता सूची, प्रोन्नति एंव सेवा निवृत्ति की संचिका।

परिशिष्ट 'ख' कंडिका –2 (iv) से संबंधित

आय एंव व्यय विवरणी

क्र0	वित्तीय वर्ष	मद	प्राप्त अनुदान	व्यय राशि	अधिव्य	बचत	विवरण
1	2006–07	वेतन भविष्य निधि	83738 3792	83738 3792	–	–	चेक सं0 – शन्य दि0 – शून्य वेतन 69250.00 चेक सं0 – शन्य दि0 – शून्य वेतन 14488.00 चेक सं0 – शन्य दि0 – शून्य भ0 नि0 3792.00
2	2007–08	वेतन भविष्य निधि	262373 24010	262373 24010	–	–	चेक सं0 066825 दि0 25.5.07 वेतन 118443.00 चेक सं0 19250 दि0 30.5.07 भ0 नि0 11650.00 चेक सं0 19252 दि0 2.11.07 वेतन 22402.00 चेक सं0 2522 दि0 02.01.07 भ0 नि0 2360.00 चेक सं0 192570 दि0 19.3.08 वेतन 121528.00

							चेक सं0 192570 दि0 19.3.08 भ0 नि0 10000.00
3	2008–09	वेतन भविष्य निधि	115631 9000	115631 9000	–	–	चेक सं0 092899 दि0 04.3.09 वेतन 115631.00 चेक सं0 092900 दि0 24.3.09 भ0 नि0 9000.00
4	2009–10	वेतन भविष्य निधि	143432 10000	143432 10000	–	–	चेक सं0 32933 दि0 24.2.10 वेतन 143432.00 चेक सं0 32933 दि0 24.2.10 भ0 नि0 10000.00
5	2010–11	वेतन भविष्य निधि	228561 14000	228561 14000	–	–	चेक सं0 – शून्य दि0 –शून्य वेतन – 14750.00 चेक सं0 – शून्य दि0 –शून्य वेतन – 14750.00 चेक सं0 – शून्य दि0 –शून्य भ0 नि0 – 2000.00 चेक सं0– 437051 दि0 17.3.11 वेतन – 164855.00

							चेक सं0– 437051 दि0 17.3.11 भ0 नि0 – 10000.00 चेक सं0– 437127 दि0 28.3.11 वेतन –34206.00 चेक सं0– 437127 दि0 28.3.11 भ0 नि0 – 2000.00

परिशिष्ट – 'ग'

कंडिका –'5' से सम्बन्धित

उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाने योग्य राशि का विवरण :–

क्र0 सं0	मद	प्राप्त अनुदान वर्ष 2006–07	प्राप्त अनुदान वर्ष 2007– 08	प्राप्त अनुदान वर्ष 2008–09	प्राप्त अनुदान वर्ष 2009–10	प्राप्त अनुदान वर्ष 2010–11	कुल अनुदान राशि	अभ्युिक्ति
1	वेतन	83738	262373	115631	143432	228561	833735	
2	भविष्य निधि	3792	24010	9000	10000	14000	60802	
		87530	286383	124631	153432	242561	894537	